



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122025-268278
CG-DL-E-05122025-268278

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 5, 2025/अग्रहायण 14, 1947

No. 5441]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 5, 2025/AGRAHAYANA 14, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5629(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. S.O. 942(E). तारीख 21/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में NH66 के कि.मी. 84 से कि.मी. 110.75 (उप विभागीय कार्यालय माणगाव) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख ०६/०५/२०२५ दैनिक कृषीवल, और दैनिक रत्नागिरी टाइम्स दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दें दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रायगड जिले में NH66 के कि.मी. 84 से कि.मी. 110.75 (उप विभागीय कार्यालय माणगाव) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रायगड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: माणगाव					
गांव का नाम: लाखपाले					
1	6 पार्ट	निजी	नम	0.014	तानी तुकाराम बयकर, संगीता शांताराम चाळके, मारुती शंकर जांभळे, सुमित्रा किसन पेंढारी, मती गौऱ्या मनवे, सिताराम बाबाजी जांभळे, चंद्रकांत सखाराम जांभळे, वनिता उमाजी जाधव, काशीराम शंकर जांभळे 6 Part
Total			0.014		

[फा. सं. RW/NH-37014/21/2013-NHDP-IV A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2025

S.O. 5629(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 942(E). Dated:21/02/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH66 in the stretch of land from Km. 84 to Km. 110.75 (Sub Division Office Mangaon) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in **Dainik Krushival & Dainik Ratanagiri Times Both Dated 06/05/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEME

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. 84 to Km. 110.75 (Sub Division Office Mangaon) in the district of RAIGAD in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: RAIGAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mangaon					
Village: Lakhapale					
1	6 part	Private	Wet	0.014	Tani Tukaram Baykar, Sangita Shantaram Chalke, Maruti Shankar Jambhale, Sumitra Kisan Pendhari, Mati Gourya Manve, Sitaram Babaji Jambhale, Chandrakant Sakharam Jambhale, Vanita Umaji Jadhav, Kashiram Shankar Jambhale 6 Part
Total			0.014		

[F. No. RW/NH-37014/21/2013-NHDP-IV A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director